न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–04/

विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), गोण्डा।

उपस्थित– फूलचन्द्र कुशवाहा, {एच०जे०एस०} जे.ओ. कोड–UP2712

दाण्डिक निगरानी संख्या–300/2025

सीएनआर संख्या. UPGD010037742025

शत्रुहन यादव उम्र करीब 45 वर्ष पुत्र स्व० भग्गन यादव निवासी मो०–पठानटोला, कटरा बाजार, थाना–कटरा बाजार, जिला–गोण्डा। .....**निगरानीकर्ता**

बनाम

1– श्रीमती नूर तारा पत्नी मोहम्मद इसराक,

2– मो० इसराक पुत्र मोहम्मद इश्तियाक,

निवासीगण – पठानटोला वार्ड नं० 14 कटरा बाजार, थाना कटरा बाजार, जिला गोण्डा।

3– मो० सूफियान खान पुत्र अब्दुल शकूर खान

निवासी–हलधरमऊ तारेपुरवा थाना–कटरा बाजार, जनपद गोण्डा।

4– ग०नसीरुद्दीन पुत्र वारिस अली निवासी कटरा बाजार रस्तोगी टोला, वार्ड नं०–10 थाना–कटरा बाजार, जिला–गोण्डा।

5– ग० हिसामुद्दीन पुत्र हबीब निवासी वार्ड नं0–08 मो०–पठानटोला, कटरा बाजार, थाना–कटरा बाजार, जिला–गोण्डा।**(मृतक)**

6– सरकार उत्तर प्रदेश .....**विपक्षीगण**

–निर्णय–

1– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निगरानीकर्ता/आवेदक शत्रुहन द्वारा प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र सं० 1215/2025 शत्रुहन यादव बनाम श्रीमती नूरतारा आदि में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोण्डा द्वारा पारित आदेश दिनांकित 26.05.2025 से क्षुब्ध होकर योजित की गई है जिसके द्वारा निगरानीकर्ता का प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० निरस्त किया गया है।

2– दाण्डिक निगरानी के निस्तारण के लिये सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता ने धारा–173(4) बीएनएसएस के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय में इस आशय का दिया कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता व विपक्षीगण उपरोक्त नाम–पते के मूल निवासी हैं तथा प्रार्थी अपनी आबादी भूमि स्थित नगर पंचायत कटरा बाजार पठान टोला वार्ड नं० 08, परगना–पहाड़ापुर, तहसील करनैलगंज पर अपनी कब्जे की भूमि में निर्माण करने के लिये मिट्टी की पटाई कराने लगा तथा प्रार्थी के कब्जे में आबादी की भूमि में प्रार्थी का घर, नादा, चन्नी तथा चारा काटने की मशीन लगी हुई है उसी जमीन में निर्माण करने के लिये प्रार्थी मिट्टी पटाई कराने लगा तब विपक्षीगण उसे रोकने लगे तब प्रार्थी ने

विपक्षीगणों से पूछा कि आप मुझे क्यों रोक रहे तो विपक्षी संख्या–1 ने बताया कि तुम्हारी जमीन को मैं सुफियान/विपक्षी सं०–3 से फर्जी तरीके से बैनामा करा लिया जो कुछ करना है कर लीजिये तब प्रार्थी को पता चला तब प्रार्थी करनैलगंज तहसील में दिनांक 10.02.2025 को मुआयना कराया तो पता चला कि विपक्षी सं०–1 ने तीन वर्ष पूर्व में फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके बैनामा कराया है जो पूर्णतया फर्जी है। विपक्षी सं०–2 द्वारा अपनी पत्नी के नाम से फर्जी तरीके से फाड करते हुये बैनामा कराया गया है तथा जब प्रार्थी ने विपक्षीगण से पूछा तब विपक्षीगण एकराय होकर माँ–बहन की भद्दी–भद्दी गाली देते हुये जान से मार डालने की धमकी दी तथा वहाँ से चले जाने को कहा नहीं तो तुम लोगों को जान से मार डालूंगा। निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय में धारा–173(4)बीएनएसएस में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जहां से उसका प्रार्थना पत्र निरस्त हो गया।

3– निगरानीकर्ता/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित–26.05.2025 को पारित करते समय विधिक मस्तिष्क का प्रयोग न करके त्रुटि कारित किया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में बताया कि विवादित भूमि पर पुनरीक्षणकर्ता का कब्जा है इसलिए प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है जोकि भ्रामक एवं गलत है। विवादित बैनामा की भूमि जोकि पुनरीक्षणकर्ता के कब्जे में है पुनरीक्षणकर्ता का कब्जा होने से विपक्षीगण द्वारा किये गये कूटरचना का अपराध समाप्त नहीं हो जाता है इस बिन्दु पर ध्यान न देकर विचारण न्यायालय द्वारा गम्भीर त्रुटि कारित की गयी है। विपक्षी सं०–3 कटरा बाजार से 10 किमी दूर रहता है तथा भूमाफिया एवं दबंग तथा आपराधिक किस्म का व्यक्ति है जोकि जमीन कब्जा करके बेंचता है तथा अपनी राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाकर प्रशासन से बच जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा गम्भीर अपराध के प्रकट होने के बाद भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बीएनएसएस निरस्त करके भू–माफियाओं को लाभ पहुंचाने जैसा कार्य किया है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपनी भूमि को विपक्षी संख्या–3 द्वारा अपनी भूमि बताकर विपक्षी सं०–1 को कूटरचित बैनामा किया जोकि गम्भीर अपराध है तथा उक्त भूमि के बैनामा बिना जांच के न्यायालय द्वारा साफ घोषित किया जाना विधिक त्रुटि है। विपक्षी संख्या–1 ने दिनांक–08.11.2021 प्रार्थी की भूमि की चौहद्दी दिखाकर विपक्षी संख्या–3 से बैनामा करवाया तथा पुनः विपक्षी संख्या–2 ने उसी भूमि की चौहद्दी दिखाकर तथा बैनामा वाली बात को छिपाकर उक्त भूमि को अपना पूर्वजीय भूमि बताकर सिविल वाद सं०–205/2025 इसहाक बनाम शत्रोहन प्रसाद प्रस्तुत किया। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1, 2 व 3 द्वारा स्वयं ही अपनी बात का विरोध किया गया। अधीनस्थ विचारण द्वारा पुनरीक्षणकर्ता की बातों को साक्ष्य होते हुए कपोलकल्पित कहकर निरस्त कर दिया है जो कि तथ्यात्मक दृष्टिकोण से गलत है। विचारण न्यायालय द्वारा भूमाफिया द्वारा की गई कूटरचना की गम्भीरता पर ध्यान न देकर आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता द्वारा बताये गये तथ्यों के आलोक में आदेश पारित न करके विधिक त्रुटि कारित किया है जो विधि के प्रतिकूल है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश निरस्त करने की याचना की गयी है।

4– विपक्षी सं० 1, 2 व 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी के विरुद्ध आपत्ति दाखिल करते हुए कथन किया है कि निगरानीकर्ता द्वारा जो निगरानी आदेश दिनांक 26.05.25 पारित द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय गोण्डा के विरुद्ध दायर किया है वह सिविल वाद से संबंधित है एवं आपत्तिकर्ता सं० 1 व 2 व निगरानीकर्ता के बीच अपने अपने कब्जेदारी को लेकर विवाद है जिसको लेकर दोनो पक्षों के मध्य सिविल न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा व बैनामा मंसूखी का मुकदमा विचाराधीन है। निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) महोदय गोण्डा के यहां बैनामा मंसूखी का मुकदमा सा०वा०सं० 187/2025 शत्रोहन यादव बनाम नूरतारा विचाराधीन है जबकि आपत्तिकर्ता सं 02 द्वारा न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) गोण्डा के यहां स्थाई निषेधाज्ञा का दावा सा०वा०सं० 205/25 मो० इसराक बनाम शत्रोहन आदि का विचाराधीन है। आपत्तिकर्ता सं० 2 की आबादी की भूमि है निगरानीकर्ता द्वारा जिस भूमि को अपनी भूमि बतायी जा रही है वह आबादी की भूमि है जिसपर विपक्षी मो० सुफियान का कब्जा दखल था। उक्त विवादित भूमि का बैनामा, आपत्तिकर्ता ने लिया था। आबादी की भूमि पर जिसका कब्जा होता है वह रजिस्ट्री कर सकता है परन्तु का खारिज दाखिल नहीं होता है। उक्त भूमि के बैनामे से संबंधित निगरानीकर्ता के पास कोई साक्ष्य नहीं है। आपत्तिकर्ता/विपक्षी सं० 4 उक्त विवादित बैनामे में गवाह है जिसके आधार पर उसे फर्जी व गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। आपत्तिकर्ता/विपक्षी सं० 05 जो उक्त बैनामा के हासिया गवाह है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। निगरानीकर्ता द्वारा अपने निगरानी के शीर्षक में निगरानी शब्द का सम्बोधान नहीं किया है बल्कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–438/440 अंकित किया है जिससे निगरानी त्रुटिपूर्ण है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात जब प्रथम दृष्टया कोई अपराध बनना नहीं पाया गया तब विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता का प्रार्थनापत्र निरस्त किया गया है। उक्त कथनों के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी सव्यय निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5– विपक्षी सं० 06 उ०प्र० राज्य की ओर से जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। इन सभी तर्को के साथ प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने की याचना की गई है।

6– मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली व आलोच्य आदेश का परिशीलन किया।

7– प्रस्तुत निगरानी के निराकरण हेतु मुख्य अवधार्य प्रश्न यह है कि क्या आलोच्य आदेश दिनांक 26.05.2025 के निष्कर्ष में शुद्धता, वैधता या औचित्य अथवा कार्यवाही की नियमितता सम्बन्धी किसी त्रुटि के आधार पर हस्तक्षेप किये जाने योग्य है?

8– आपराधिक निगरानी के अन्तर्गत निगरानी न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश की शुद्धता, वैधता, औचित्य और कार्यवाही की नियमितता को देखना होता है। निगरानी

न्यायालय, निगरानी के स्तर पर यदि आलोच्य आदेश में विधिक त्रुटि होना पाती है तभी वह विचारण न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है। जैसा कि **अमित कपूर बनाम रमेश चन्दर(2012) 9 एस०सी०सी० 460** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है।

9– पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांकित 26.09.2025 का भी अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में मुख्यतः उसकी भूमि को विपक्षी संख्या–3 द्वारा अपनी भूमि बताकर विपक्षी सं०–1 को कूटरचित बैनामा किये जाने का कथन किया है। पत्रावली में संलग्न छायाप्रति बैनामा, न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०) कक्ष संख्या 6 में संचालित सा०वाद संख्या 205/2025 मो० इसराक बनाम शत्रोहन आदि दाखिल की गयी है तथा आपत्तिकर्ता द्वारा निगरानीकर्ता की ओर से बैनामा मंसूखी का वाद सा०वा०सं० 187/2025 शत्रोहन यादव बनाम नूरतारा न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) महोदय गोण्डा संचालित होने का कथन किया है। उभयपक्षों के बीच विवादित आबादी भूमि के स्वामित्व, कब्जे एवं निष्पादित बैनामें की वैधता को लेकर मूल रूप से दीवानी विवाद है। दोनों ही पक्षों द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष क्रमश: मूल वाद सं० 187/2025 तथा मूल वाद सं० 205/2025 योजित किए जा चुके हैं, जो वर्तमान में विचाराधीन हैं। विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि यदि किसी विवाद का मूल स्वरूप सिविल प्रकृति का है और उसी विषय वस्तु पर सक्षम दीवानी न्यायालय में वैधानिक कार्रवाई लंबित है तो दीवानी विवाद को आपराधिक रंग देकर आपराधिक प्रक्रिया आरंभ करना न्यायोचित नहीं है। बैनामें के फर्जी या वैध होने का निर्धारण सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा साक्ष्य के आधार पर किया जाना ही विधि–सम्मत है।

10– माननीय उच्चतम न्यायालय ने (2009) 8 Supreme Court Cases 751 Mohammed Ibrahim and others vs. State of Bihar and another के पैरा–8 में अवधारित किया है कि–

> *"This court has time and again drawn attention to the growing tendency of the complainants attempting to give the cloak of a criminal offence to matters which are essentially and purely civil in nature, obviously either to apply pressure on the accuse, or out of enmity towards the accused, or to subject the accused to harassment. Criminal courts should ensure that proceedings before it are not used for settling scores or to pressurise parties to settle civil disputes."*

11– इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित नवीतम विधि व्यवस्था Crimianl Appeal No. 1380/2023 Kunti and Anr. vs. State of Uttar Pradesh and Anr. निर्णय दिनांकित 03, मई 2023 में Vijay Kumar Ghai v. State of W.B. (2022) 7 SCC 124 को उद्धरित करते हुए पैरा 24 व 25 में अवधारित किया है कि–

> *"24. This Court in G. Sagar Suri v. State of U.P. [G. Sagar Suri v. State of U.P., (2000) SCC 636 2000 SCC (Cri) 513] observed*

that it is the duty and obligation of the criminal Court to exercise a great deal of caution in issuing the process, Particularly when matters are essentially of civil nature.

25. This Court has time and again cautioned about converting purely civil disputes into criminal cases. This Court in Indian Oil Corpn. [Indian Oil Corpn. V. NEPC India Ltd., (2006) 6 SCC 736 noticed the prevalent impression that civil law remedies are time consuming and do not adequately protect the interests of lenders/creditors. The Court further observed that 13. ….Any effort to settle civil disputes and claims, which do not involve any criminal offence, by applying pressure through criminal prosecution should be deprecated and discouraged."

12– माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त विधिव्यवस्थाओं से स्पष्ट रूप से अवधारित किया है कि सिविल प्रकृति के वादों में आपराधिक कार्यवाहियों को नहीं लाना चाहिये। ऐसी स्थिति में विपक्षी के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

13– उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण में जिन बिन्दुओ पर निगरानीकत्री की ओर से न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किये गये है उन सभी तर्को पर विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश में विश्लेषण किया जा चुका है। निगरानी स्तर पर भी निगरानीकर्ता द्वारा कोई ऐसा नवीन तथ्य न्यायालय के समक्ष उजागर नहीं किया गया जिसके आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध लगाये गये आक्षेप की सम्पुष्टि होती हो अथवा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 26.05.2025 विधि के प्रतिकूल, न्यायिक विवेक के दुरूपयोग की श्रेणी में आता हो अथवा यह प्रतीत होता हो कि प्रश्नगत आदेश इतना विकृत है कि उसमें हस्ताक्षेप किये जाने की आवश्यकता हो। परिणामतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 26.05.2025 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था के आलोक में प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक अनियमितता या त्रुटि होना दर्शित नहीं होती है।

14– विद्वान विचारण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक् रूप से परिशीलन, मूल्यांकन एवं विश्लेषण किए जाने के पश्चात प्रश्नगत आदेश दिनांकित 26.05.2025 विधिपूर्ण ढंग से पारित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश पुष्ट किये जाने योग्य है।

आदेश

15– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी सं०–300/2025 **निरस्त** की जाती है।

16– विद्वान विचारण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोण्डा द्वारा प्रकीर्ण वाद सं०–1215/2025 शत्रुहन यादव बनाम श्रीमती नूरतारा आदि अन्तर्गत धारा–173(4)बीएनएसएस, थाना करनैलगंज, जिला गोण्डा में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 26.05.2026 पुष्ट किया जाता है।

17– इस आदेश की एक प्रति तलबशुदा मूल पत्रावली के साथ सम्बन्धित न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाए।

18– बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

sd/–

(फूलचन्द्र कुशवाहा)

दिनांक 01.08.2026

अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–4/

विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), गोण्डा।

जे०ओ० कोड– UP2712

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

sd/–

(फूलचन्द्र कुशवाहा)

दिनांक 01.08.2026

अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–4/

विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), गोण्डा।

जे०ओ० कोड– UP2712